न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 139/2015–16 अन्तर्गत धारा 333 जेड0ऐ0एल0आर0एक्ट

श्री चन्दू पुत्र स्व0नारायण निवासी ग्राम शाहपुर कल्याणपुर, तहसील विकासनगर, जिला–देहरादून।

बनाम

1. उपजिलाधिकारी, विकासनगर, 2. श्रीमती रीना चौहान पत्नी श्री जयपाल सिंह, निवासी ग्राम गौथान, कालसी, 3. पृथ्वी चन्द, 4 हरीश चन्द, 5 केशोराम, पुत्रगण स्व0 नारायण, 6. रामकुमार 7. श्यामू, 8. सावणू, 9. रग्धू, 10. बलवीर, पुत्रगण स्व0 राम्मा, 11. श्रीमती शांति देवी, पत्नी स्व0 राम्मा, निवासीगण ग्राम साहबपुर, कल्याणपुर, 12. टीकमसिंह, 13. भावसिंह, 14. मायाराम, 15. मुन्नासिंह, पुत्रगण तुलासिंह, ग्राम श्रीकोटा, चकराता, 16. महेन्द्र कुमार, पुत्र बीरसिंह, ग्राम शाहपुर, 17. केदारसिंह, पुत्र केसरसिंह, ग्राम डिमाऊ, 18. ग्रामसभा शाहपुर, पछवादून, जनपद–देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री एम0एस0पंवार एवं संदीप बड़थ्वाल
अधिवक्ता प्रतिपक्षी सं0–2 : श्री प्रेमचन्द शर्मा

निर्णय

यह पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर, देहरादून के न्यायालय में गतिमान एक सम्मिलित जोत के विभाजन हेतु योजित वाद संख्या–67/07–08 अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 22–04–2015 एवं 16–09–2015 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

संक्षेप में स्वीकार्य तथ्य इस प्रकार हैः–

''सहखातेदारों के मध्य अन्तर्निहित भूमि के विभाजन हेतु एक विभाजन का वाद अन्तर्गत धारा–176/178 जमींदारी विनाश अधिनियम के अधीन पुनरीक्षणकर्ता/वादी द्वारा योजित किया गया जिसमें प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23–04–2012 को पारित की गई एवं कुर्रे बनाकर प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 10–07–2014 को कुर्रे प्रस्तुत कर दिये गये। वाद कुर्रे प्रस्तुत करने वाले लेखपाल के बयान हेतु दिनांक 07–08–2014 को नियत किया गया। तत्पश्चात निर्धारित तिथियों पर आगे की कार्यवाही नही हो पायी। दिनांक 22–04–2015 को उत्तरदात्री संख्या–2 के द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु व स्थल पर यथास्थिति बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। विद्वान सहायक कलेक्टर ने प्रार्थना पत्र को पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये जाने के लिए आदेशित किया जबकि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–04–2012 व उसके बाद की कार्यवाही का प्रभाव स्थगित किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा स्वीकार किया गया उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया।''

यह स्वीकार्य तथ्य है कि वाद संस्थित किये जाते समय उत्तरदात्री संख्या–2 सहखातेदार के रूप में खतौनी में अंकित नही थी एवं उसने वादग्रस्त भूमि में से कुछ

खसरा नम्बरान दिनांक 04–11–2008 को कथित रूप से उत्तरदातागण रामकुमार, श्यामू, सावणू, रग्धू, बलवीर, पुत्रगण राम्मा, शांति देवी, पत्नी राम्मा, हरीचन्द, पृथ्वीचन्द, केसोराम, पुत्रगण नारायण से क्रय किये एवं विक्रय पत्र के अनुसार उसके पक्ष में नामान्तरण तहसीलदार, विकासनगर के आदेश दिनांक 22–11–2013 के अनुसार कर दिया गया।

मैंने उपस्थित पक्ष–विपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

पुनरीक्षकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उत्तरदात्री संख्या–2 को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही बिना पुनरीक्षणकर्ता के संज्ञान के वाद के मुख्य पत्रावली से पृथक अनियमित ढंग से की गई क्योंकि पुनरीक्षणकर्ता को कोई नोटिस नही दिया गया उसे उक्त कार्यवाही का संज्ञान पूर्व में नियत तिथि दिनांक 24–09–2015 को ही हुआ। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उत्तरदात्री संख्या–2 ने प्रश्नगत क्रय अवर न्यायालय में वाद के लम्बित रहते किया एवं पूरे–पूरे नम्बर एवं विशिष्ट अंश क्रय किये गये एवं विद्वान सहायक कलेक्टर ने न केवल बिना पुनरीक्षणकर्ता को सूचित किये अथवा सुने उसे पक्षकार बना दिया अपितु वाद की कार्यवाही में यथास्थिति का आदेश बिना पक्षकार बनाये ही पारित कर दिया।

दूसरी ओर उत्तरदात्री संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरदात्री संख्या–2 का पक्षकार बनाये जाना न्याय हित में था एवं उसे विभाजन के वाद का संज्ञान 2015 में उसके पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु योजित दीवानी वाद से ही हो पाया तद्नुसार उसने पक्षकार बनाये जाने का आवेदन अवर न्यायालय में किया जबकि पुनरीक्षणकर्ता/वादी को उत्तरदात्री संख्या–2 को स्वयं पक्षकार बनाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये थी विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उक्त के दृष्टिगत पुनरीक्षण पोषणीय नही है । विद्वान अवर न्यायालय ने उत्तरदात्री संख्या–2 को पक्षकार बनाये जाने में कोई अनियमितता नही की क्योंकि उन्हें इस हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त था।

यह सही है कि आक्षेपित पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही वाद की मुख्य पत्रावली से पृथक सम्पन्न हुई है एवं पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी आदेश एवं यथास्थिति आदेश पारित होने के बाद ही संगत अभिलेख मुख्य पत्रावली में सम्मिलित किये गये। यह भी सही है कि पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र एवं वाद की कार्यवाही में कुर्रे बनाये जाने की कार्यवाही में यथास्थिति आदेश पारित करने से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को न तो सुना गया और न ही सूचित किया गया। यह भी सही है कि उत्तरदात्री संख्या–2 के स्वीकार्य रूप से वादग्रस्त भूमि के कुछ अंश को क्रय किये जाने के दृष्टिगत उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश–1, नियम–10 सिविल प्रक्रिया संहिता का जो उल्लेख किया है, उल्लिखित नियम में ही व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय पक्षकार जोड़ने अथवा हटाने हेतु आवेदन पर अथवा बिना आवेदन के भी स्वप्रेरणा से आदेश पारित कर सकता है।

वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता यह स्वीकार करता है कि उत्तरदात्री संख्या–2 वाद में आवश्यक पक्षकार है तद्नुसार भले ही विद्वान सहायक कलेक्टर/अवर न्यायालय ने कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें पूर्ण न की हों परन्तु स्वीकार्य तथ्यों के दृष्टिगत प्रतिउत्तरदात्री संख्या–2 को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो कि आक्षेपित आदेश द्वारा किया गया है।

कुर्रे एवं वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना भी वाद की कार्यवाही में आये परिवर्तन के दृष्टिगत आवश्यक था क्योंकि विभाजन के वाद को सम्पूर्णता में निस्तारण करने के लिए उक्त अन्तरिम आदेश पारित किया जाना आवश्यक था अन्यथा उत्तरदात्री संख्या–2 का पक्षकार बनना निष्फल हो जाता। जहां तक उत्तरदात्री संख्या–2 द्वारा

पूरे–पूरे नम्बर अथवा अंश को क्य किये जाने सम्बन्धी उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्क का प्रश्न है यह तर्क परीक्षण न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

आक्षेपित आदेशों की उक्त स्थिति के दृष्टिगत पुनरीक्षणकर्ता/वादी को आक्षेपित आदेशों से कोई हानि (Prejudice) नही होना सिद्ध होता है यद्यपि पक्षकार बनाये जाने एवं अन्तरिम आदेश पारित करने में कुछ सैद्धान्तिक कमियां रह गई हों परन्तु सारवान न्याय हेतु आक्षेपित आदेश पोषणीय है।

आदेश

पुनरीक्षण अस्वीकृत किया जाता है विद्वान सहायक कलेक्टर, विकासनगर वाद की अग्रेत्तर कार्यवाही विधितः यथाशीघ्र निष्पादित करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 10–02–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

10/2/16

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)